1/10/2017 Admit Card



## **Chaudhary Charan Singh University, Meerut**

		PROVISIONAL ADMI	IT CARD (December-20	J 16)
Name of the Candidate : RAKESH KUMAR PRASAD			Father's Name : BIHARI PRASAD	
Roll No. : <b>1560710120</b>		Class : <b>LL.B 3 Year-YE</b>	AR-2-SEM-3	
Enroll. No. : <b>M12541858</b>		Type: Post Graduate	(PG) Regular	W Y W
Category : <b>SC</b>		Gender : MALE		1 1 1
•	LIABLE INSTITUTE OF LAV	V MORTA, DELHI-MEERUT R	OAD, GHAZIABAD	
Examination Centre : [062] M.M. DEGREE COLLEGE, MODINAGAR, GHAZIABAD				R
Subjects: Law		-41	rind hais	Framou /
		(Control	ller of Examinations)	Form # 108809
Subject	Paper			
Law	Paper-1 : K-3001 Family Law - II (Muslim Law)			
Law	Paper-2 : K-3002 Public International Law			
Law	Paper-3 : K-3003 Administrative Law			
Law	Paper-4: K-3004 Law of Property and Easement			
	Paper-5 : K-3005 Professional Ethics, Accountability of Lawyers and Bar Bench Relation (Practical Training)			

The result shall be declared subject to eligibility of the candidate.

## परीक्षार्थी के लिये आवश्यक निर्देश

- 1. उत्तर पुस्तिका पर अपने अनुक्रमांक निम्नवत लिखें अनुक्रमांक -

- अनुक्रमार्क [1][5][6][0][7][1][0][1][2][0]
  2. यदि परीक्षार्थी की फोटो अस्पष्ट / नृटियुक्त है, तो यह Admit Card किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगा |
  3. परीक्षार्थी को केंद्र के केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षाकों के निर्देशों का सर्वथा अनुपालन करना होगा |
  4. उत्तर पुस्तिका पर आवरण पृष्ठ के निर्धारित कालम पर वांछित सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी पृष्ठ पर नाम, अनुक्रमांक या अन्य चिन्ह अंकित करना अनुचित साधन की श्रेणी में माना जायेगा |
  5. परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक के हाथ में सौंपे बिना परीक्षा कक्ष के बाहर नहीं जा सकेगा |
  6. परीक्षा किस में किसी प्रकार की पाठ्य पुस्तक / सहायक पुस्तक / मोबाइल / कैलकुलेटर इत्यादि ले जाना वर्जित है | ऐसा पाए जाने पर केन्द्राध्यक्ष को परीक्षार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा |
  7. परीक्षा कक्ष में अशांति उत्पन्न करने वाले परीक्षार्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे, परीक्षा बिहण्कार करने के कारण छूटी हुई परीक्षा को पुनः संपन्न कराने का विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्य नहीं होगा |